

न्यायालय नं० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 357/18

सरकार

बनाम

श्री: बनवारी पुत्र हरी सिंह
जाति राजपूत

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 26/2/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री बनवारी पुत्र श्री हरी सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़वा तहसील महवा ने संवत् 20-79 फसल रवि / खरीफ में ग्राम जोड़वा की राजकीय आराजी खसरा नं. 326 रकबा 1.40m² किस्म गेहूँ भूमि से 1.40m² रकबा पर अनाधिकृत रूप से पुख्ता कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.54 का 50 गुना 27 रु. की शक्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 103 पर
वर्ष 2017-18
की राशि तादत 27 रु.
की जमा कायमी की
दिनांक 26/2/18 तहसील महवा लेखाकार
तहसील-महवा